अराजपत्रित कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

2812. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों को आवास सुविधाएं देने के लिये पटना (बिहार) के राजबंशी टाउन में मकान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या ये मकान अराजपत्रित अधिकारियों को नहीं दिये गये हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जुलाई, 1968 में राज्यपाल से मिला था और राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो राजबंशी टाउन में बनाये गये मकानों को कर्मचारियों को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). बिहार सरकार ने राजबंशी नगर, परिवर्तित नाम, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना में 600 रिहायशी इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। 600 फ्लैटों पर निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और इनमें से 42 फ्लेट पूरे हो चुके हैं तथा उन्हें विधान सभा सदस्यों, राज्य सरकार की डिस्पेन्सरी, तथा ऐयरक्राफ्ट मेनेटेनेन्स आर्गेनाईजेशन को आबंटित कर दिया गया है। अब तक 1 0 फ्लेट आबंटित कर दिए गए है। शेष फ्लेटों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उनके कर्मचारियों की संख्या के अनुपात से बांटने से एक सुझाव पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है। फ्लेटों के सभी प्रकार से पूरा हो जाने पर अराजपत्रित कर्मचारियों को आवंटन विभाग स्वयं ही करेंगे। इन फ्लेटों के अपूर्ण होने के कारण आवंटन में देरी हुई।

राज्यपाल के आश्वासन के बारे में लिखित रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है।

सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री द्वारा ए० सी० सी० सीमेंट कारखाने को चाक की बिक्री

2813. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० सी० सी० सीमेंट फैक्टरी को सिंदरी उर्वरक कारखाने में उत्पादित चाक (उप-उत्पाद) 1951 से, जब यह कारखाना स्थापित किया गया था, 10 रुपये प्रति टन की दर से बेचा जा रहा है ; और सीमेंट फैक्टरी इसको 'पलवेराइजेशन' प्रक्रिया से आसानी से ही सीमेंट में परिवर्तित कर लेती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चाक के मूल्यों में गत 17 वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है, जबकि सीमेंट के मूल्यों में, खानों से जिप्सम (जिसका चाक उप-उत्पाद है) निकालने की लागत तथा उनके वहन भाड़े में निरन्तर वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया): (क) चाकस्लज जो सिंदरी में अमोनिया सल्फेट के निर्माण में वर्ज्य उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है, सितम्बर 1955 से एस्सोशियेटिड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड को सीमेंट बनाने के लिये 9 रुपये प्रति लांग टन की दर से बेचा जा रहा है।

(ख) और (ग) बिक्री सीमेंट कारखाने के चालू होने की तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए 25 अगस्त, 1952 के एक करार के आधार पर की जा रही है। 1958 में, विस्तार संयंत्र से, चाक स्लेस के 350 लांग टन प्रतिदिन की अतिरिक्त सप्लाई के लिये, ए० सी० सी० ने तीन रुपये प्रति टन की दर से मूल्य में कमी करने को कहा था। मूल्य का प्रश्न टैरिफ़